[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

**अधिसूचना सं. 36/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)**

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

का.आ. (अ),- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 158 की उपधारा (2) के उपवाक्य (1) के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (2) के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, लेवी आफ फीस (कस्टम्स डाक्यूमेंट) रेग्यूलेशन्स, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा:-

1. (1) इन विनियमों को लेवी आफ फीस (कस्टम्स डाक्यूमेंट) अमेंडमेंट रेग्यूलेशन्स, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. लेवी आफ फीस (कस्टम्स डाक्यूमेंट) रेग्यूलेशन्स, 1970, के विनियम 3 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"**सारणी**

| **क्र.सं.** | **उद्देश्य** | **दर** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| (i) | इम्पोर्ट मेनीफेस्ट या एक्सपोर्ट मेनीफेस्ट, जिसमें इसके पूरक भी आते हैं, में संशोधन। | 1000.00 रूपये; |
| (ii) | शिपिंग बिल में जहाज के नाम में संशोधन। | 1000.00 रूपये; |
| (iii) | शिपिंग बिल के ब्यौरों (जहाज के नाम के अलावा) में संशोधन। | 1000.00 रूपये; |
| (iv) | पोर्ट क्लियरेंस के आवेदन में संशोधन। | 1000.00 रूपये; |
| (v) | बाहरी प्रवेश पत्तन के आवेदन में संशोधन। | 1000.00 रूपये; |
| (vi) | शॉर्ट शिपमेंट नोटिस के पूरक में संशोधन। | 1000.00 रूपये; |
| (vii) | किसी कागजात को रद्द करना। | 1000.00 रूपये; |
| (viii) | निम्नलिखित की अभिप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना-<br>(क) बिल आफ एंट्री, यदि अनुरोध धारा 46 या धारा 60 के अंतर्गत किसी आदेश को पारित किए जाने के पहले किया गया है तो<br>(ख) आयात से संबंधित सीमा शुल्क दस्तावेज, उनसे भिन्न जो कि मद (क) में संदर्भित हैं<br>(ग) शिपिंग बिल, यदि अनुरोध धारा 51 के अंतर्गत किसी आदेश को पारित किए जाने के पहले किया गया है तो<br>(घ) निर्यात से संबंधित सीमा शुल्क दस्तावेज, उनसे भिन्न जो मद (ग) में संदर्भित हैं | 100.00 रूपये;<br>100.00 रूपये;<br>100.00 रूपये;<br>100.00 रूपये; |
| (ix) | (c) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 की उपधारा (3) के परंतुक के अंतर्गत दायर पूर्व बिल ऑफ एंट्री | शून्य; |

| | | |
|---|---|---|
| | का संशोधन।<br>(d) उपर्युक्त (क) में संदर्भित में से भिन्न बिल आफ एंट्री में संशोधन। | 1000.00 रूपये" |

[**फा.सं. 450/198/2015-सीमा शुल्क IV**]

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान विनियम को का.आ. 4018 दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड3-, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 55/1992- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 जुलाई, 1992, का.आ. 574 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 1992 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।